

# कार्यालय:- जिला परिषद, लातेहार।

## आम सूचना

प्रबंध निदेशक, झारखण्ड टूरिज्म डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, महात्मा गांधी मार्ग रांची का पत्रांक 176 दिनांक 15.03.2017 के आलोक में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अन्तर्गत सभी धर्म/सम्प्रदायों के बी0पी0एल0 श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को (जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो तथा झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हो) तीर्थ यात्रा करने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान कर विहित प्रपत्र में आवेदन उपलब्ध कराया जाना है। उक्त योजना अन्तर्गत तीर्थ यात्रा पर जानेवाले इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो तथा झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी हो) से निर्धारित प्रपत्र में चिकित्सा प्रमाण पत्र, आवेदक का घोषणा पत्र एवं जीवनवृत (बायोडाटा) दिनांक 27/03/2017 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

नोट:- चिकित्सा प्रमाण पत्र, आवेदन का घोषणा पत्र तथा सामूह रूप से आवेदन करने वाले का विस्तृत विवरणी [latehar.nic.in](http://latehar.nic.in) पर उपलब्ध है।

### मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का आवेदन पत्र

PHOTO

1	आवेदक का नाम	11	झारखण्ड के निवासी (हाँ/नहीं)	
2	पिता का नाम	12	आवेदन करने की तिथि को उम्र	
3	माता का नाम	13	लिंग	
4	आवेदक के पति/पत्नी का नाम	14	श्रेणी ए0पी0एल0/बी0पी0एल0 का प्रमाण पत्र संलग्न करें	
5	स्थायी पता	15	पहचान पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र का विवरणी	
6	वर्तमान पता	16	वरिष्ठ नागरिक के साथ यदि पति/पत्नी हो तो पहचान पत्र संलग्न करें। पति/पत्नी का नाम- फोन नम्बर-	
7	सम्पर्क संख्या	17	वरिष्ठ नागरिक के साथ यदि अटेंडेन्ट हो तो पहचान पत्र संलग्न करें। अटेंडेन्ट का नाम- फोन नम्बर-	
8	जन्म तिथि	18	मेडिकल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र	
9	जन्म स्थान	19	तीर्थ यात्री आयकर दाता है या नहीं	
10	पेशा	20	यात्रा किये जानेवाले तीर्थ स्थान	

हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान  
तिथि

उप विकास आयुक्त-सह-  
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,  
जिला परिषद, लातेहार।